

तारीख
हुक्म

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

नम्बर
अहमद
हुक्म
में ज

11/10/22

परावली पेश दुर्ग। प्राथमिकी वकील अनु०।
जुंकि मूलवाद अदालत में अदालत काजरी में
शारीर किफात ~~का~~ जा चुका है अदालत
आवेदन को आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं
है अतः इस आवेदन की कार्यवाही रद्द कर
समाप्त की जाती है।
परावली फिल शुमार होकर दारख्त
रखल है। अरंवा दे का को।

